No.A-12018/12/2023-E.III/ 1140-1147

भारत सरकार
Government of India
जल शक्ति मंत्रालय
Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
*****

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, Dated 10th October, 2023.

To
The General Manager,
Farakka Barrage Project,
P.O. Farakka Barrage,
District- Murshidabad, West Bengal-742212.
(Email: - gm-fbp@gov.in, gmoffice-fbp@gov.in)

Subject: Framing of Recruitment Rules for the post of Multi-Tasking Staff (MTS) in Farakka Barrage Project- regarding.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of amended Recruitment Rules for the post of Multi-Tasking Staff in Farakka Barrage Project under Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, notified vide GSR No. 125 dated 18.09.2023 in the weekly e-Gazette of India Part II, Section 3, Sub Section(i) dated 24-30 September, 2023.

Yours faithfully,

Signed by Rajesh Kaushik
Date: 10-10-2023 12:37:23
Reason: Approved

Encl. As above.

(Rajesh Kaushik)
Under Secretary to the Government of India
Tel No. 011- 23718165

Copy with enclosure to: -

1. The Chief Librarian, Parliament House Library, New Delhi.
2. Lok Sabha Secretariat, Committee Branch, New Delhi.
3. Rajya Sabha Secretariat, Committee Branch, New Delhi.
4. Department of Personnel & Training, Establishment RR Division, North

Block, New Delhi.

5. Ministry of Law & Justice (Legislative Department), Shastri Bhawan, New Delhi.
6. Ministry of Law & Justice (Official Language Wing), Shastri Bhawan, New Delhi.
7. NIC Cell, DoWR, RD&GR, Shram Shakti Bhawan, New Delhi, with a request to upload the aforesaid RRs on the website of this Department under column Recruitment Rules.

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06102023-249195
CG-DL-W-06102023-249195

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 24—सितम्बर 30, 2023, शनिवार/आश्विन 2—आश्विन 8, 1945
No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 24—SEPTEMBER 30, 2023, SATURDAY/ ASVINA 2—ASVINA 8, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

सा.का.नि.123.—महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के निबंधनों के अनुसार, दिनांक 23.09.2022 की अधिसूचना सं. एफ 7/52/2009-वीयू/जीएन-9466/2022 के द्वारा 'आंतरिक परिवाद समिति' का गठन किया गया है। निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी हुई मौजूदा समिति के कार्यकाल को और तीन महीने के लिए 25.09.2023 से (25.12.2023 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है:-

(एक)	श्रीमती सुमन अरोड़ा संयुक्त सचिव	पीठासीन अधिकारी
(दो)	श्रीमती ममता केमवाल	सदस्य

	निदेशक	
(तीन)	श्री एच. राम प्रकाश निदेशक	सदस्य
(चार)	श्रीमती जूबी अमर निदेशक	सदस्य-सचिव
(पांच)	श्रीमती अनुजा पेठिया अधिवक्ता	सदस्य

[फा. सं. 7/52/2009-वीयू/जीएन-9752/2023]

भारती संजीव दुटेजा, निदेशक

LOK SABHA SECRETERIAT

New Delhi, the 13th September, 2023

G.S.R. 123.—In terms of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an "Internal Complaints Committee" was constituted vide Notification No.F.7/52/2009-VU/GN-9466/2022 dated 23.09.2022. The tenure of the existing Committee comprising the following Members, has been extended for a further three month period w.e.f. 25.09.2023 (till 25.12.2023) or until further orders, whichever is earlier :-

(i)	Smt. Suman Arora Joint Secretary	Presiding Officer
(ii)	Smt. Mamta Kemwal Director	Member
(iii)	Shri H. Ram Prakash Director	Member
(iv)	Smt. Juby Amar Director	Member-Secretary
(v)	Smt. Anuja Pethia Advocate	Member

[F. No. 7/52/2009-VU/GN-9752/2023]

(Smt.) BHARTI SANJEEV TUTEJA, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, कनिष्ठ मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में कनिष्ठ मनश्चिकित्सीय समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, में कनिष्ठ मनश्चिकित्सीय समाज कल्याण अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ **(2)** से स्तंभ **(4)** में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से स्तंभ **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
कनिष्ठ मनश्चिकित्सीय समाज कल्याण अधिकारी	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)।

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	(क) अनिवार्य: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में विशेषज्ञता के साथ सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री। (ख) अनुभव: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों या संस्थाओं से मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानसिक स्वास्थ्य में मनोसामाजिक मूल्यांकन और प्रबंधन और पुनर्वास के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन

	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।	आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आवश्यक प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो: (क) (i) जो मूल	लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची –अध्यक्ष; 2. विशेष श्रेणी-I के अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची –सदस्य; 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

		काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।		–सदस्य।	

[फा. सं. ए.12018/51/2017-एमई(भाग)]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st September, 2023

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Junior Psychiatric Social Worker (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Psychiatric Social Welfare Officer in the Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Junior Psychiatric Social Welfare Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Psychiatric Social Welfare Officer.	1* (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a) Essential: Master Degree in Social Work from a recognised University or institute with specialisation in Medical and Psychiatric Social Work. (b) Experience: One year experience in the field of Psychosocial Assessment and Management and Rehabilitation in Mental Health as Psychiatric Social Worker from a Government recognised hospitals or institutions. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1 Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi.– Chairman; 2.Officer of Specialist Grade-I, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member; 3. Chief Administrative Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/51/2017-ME(Pt.)]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 125.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्टि है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता-वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	19* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-59,900 रुपए)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधरित करने की महत्वपूर्ण तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम जमा करने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा या मैट्रिक उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **नोट:** दो वर्ष की अवधि के अंतर्गत, दो सप्ताह की कालावधि का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना भी होगा।	सीधे भर्ती द्वारा 100%। **नोट:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हतांए है, में से प्रतिनियुक्ति के पर भरी जा सकेंगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे: –** 1. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष; 2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना- सदस्य; और 3. अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/12/2023-ई.III]

राजेश कौशिक, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 18th September, 2023

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, namely: -

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto. shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether Selection post or Non – Selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff (MTS).	19* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18000-59,900).	Not Applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be advertised by the Staff Selection Commission. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
10th Class or	Not applicable.	Two Years.	100% by Direct Recruitment.

Matriculation passed from a recognized Board.		**Note:** the period of two years shall include successful competition of mandatory induction training of two weeks durations.	**Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one years or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits in column (7).

In case of Recruitment by promotion, deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation Consisting of: -** 1. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project - Chairman; 2. Senior Administrative Officer, Farakka Barrage Project- Member; and 3. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/12/2023-E.III]

RAJESH KAUSHIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 126.—ब्रह्मपुत्र बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 29 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (समूह 'ख' पद) भर्ती विनियम, 2019 को, जहां तक उनका संबंध वैयक्तिक सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में वैयक्तिक सहायक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्तनामऔर प्रारंभ -**(1) इन विनियमोंका संक्षिप्त नामजल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड वैयक्तिक सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**पद की संख्या पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वही होगा जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-**भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-**वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, केंद्रीय सरकार से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृत्ति-** इन विनियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
वैयक्तिक सहायक	2* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "ख"सचिवीय	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रूपए)	लागू नहीं होता।	18 से 30 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा-जिले का पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि , यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधे भर्ती होगी/या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7.	8.	9.	10.
(i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) निम्नलिखित मानकों के साथ कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण: श्रुतलेख: 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट लिप्यांतरण: 4 0मिनट (अंग्रेजी) 5 5मिनट (हिन्दी) (कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पणी :**दो वर्ष की अवधि के अंतर्गत दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाना भी है।	सीधे भर्ती। टिप्पण: पद्धारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुटटी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11.	12.	13.
लागू नहीं होता।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार किए जाने के लिए) जिसमेंनिम्नलिखित होंगे: 1. उपसचिव, ब्रह्मपुत्र बोर्ड या निदेश कया उपसचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग – अध्यक्ष; 2. कार्यपालक इंजीनियर, ब्रह्मपुत्र बोर्ड - सदस्य; और 3. अवर सचिव, ब्रह्मपुत्र बोर्ड या अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 12018/7/2023-ई-III]

राजेश कौशिक, अवर सचिव

New Delhi, the 20th September, 2023

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) and in supersession of the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (Group 'B' posts) Recruitment Regulations, 2019, in

so far as they relate to the post of Personal Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Brahmaputra Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Personal Assistant in the Brahmaputra Board, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (Group 'B' Post) Recruitment Regulations, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **The number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.–** Where the Chairman, Brahmaputra Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, in consultation with the Central Government, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Personal Assistant.	2* (2023) *Subject to variation dependent on work load.	Group-B, Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400 – 1,12,400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Education and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 30 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with instructions or Orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date	(i) 12th Class pass from a recognised Board or University; and (ii) pass in Skill Test with following norms: Dictation: 10 minutes @ 100 words per minute Transcription: 40 minutes (English). 55 minutes (Hindi) (On Computer)	Not applicable.	Two years. **Note:** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two week duration.

prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory administration of Ladakh, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Anadman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep).			

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	**In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).	Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Secretary, Brahmaputra Board or Director or Deputy Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Chairman; 2. Executive Engineer, Brahmaputra Board – Member; and 3. Under Secretary, Brahmaputra Board or Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 12018/7/2023-E-III]

RAJESH KAUSHIK, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प)]

(राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, कनिष्ठ लेखाकार, समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय,

विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प) में कनिष्ठ लेखाकार पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, कनिष्ठ लेखाकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं, आदि** — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ लेखाकार	*01 (एक) 2023 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5 (रु.29200—92300)।	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। **टिप्पण 1:** अहर्ताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के

	सकता है।				आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती हैं।) **टिप्पण:** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रो के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।)	लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पणः** केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा– केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारीः– (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (रु 25500–81100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई शैक्षणिक अर्हता रखता हो। **टिप्पण 1**:– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**:– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष	समूह 'ग ' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) – अध्यक्ष (ii) निदेशक (हस्तशिल्प) – सदस्य (iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

			से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 02/23/2022–एनसीएम और एचकेए]

सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

(National Handicrafts and Handlooms Museum)

New Delhi, the 17th August, 2023

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handlooms), National Handicrafts and Handlooms Museum, Junior Accountant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Accountant in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Junior Accountant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Accountant.	1 (One) 2023 *Subject to variation	General Central Service, Group 'C',	Level-5 in the pay-matrix	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental	Bachelor's degree from a recognised University.

	dependent on workload.	Non Gazetted, Non-Ministerial.	(29200-92300).		candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two	Deputation / absorption failing which by direct recruitment.	By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Governments,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in post in level-4 in	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Senior Director (Museum)- Chairman;	Not applicable.

	weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.		the pay matrix (25500-81100); and (b) possessing educational qualification prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Director (Handicrafts) – Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member.	

[F. No. 02/23/2022-NCM&HKA]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA